महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 81वीं बैठक

दिनांक 27 जनवरी, 2026

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 81वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 81वीं बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2026 को अपरान्ह् 3.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित विद्या परिषद् कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, माननीय कुलगुरू	अध्यक्ष
2. प्रो. सुभाष चन्द्र, संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग	सदस्य
3. प्रो. मोनिका भटनागर, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष-सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	सदस्य
4. प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय तथा विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग	सदस्य
5. प्रो. मिलन यादव, प्राचार्य, राज. महाविद्यालय, पुष्कर एवं संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
6. प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय, विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स विभाग एवं पर्यावरण अध्ययन विभाग	सदस्य
7. प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग	सदस्य
8. प्रो. ऋतु माथुर, विभागाध्यक्ष, खाद्य पोषण एवं विज्ञान विभाग	सदस्य
9. प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष- वनस्पतिशास्त्र विभाग	सदस्य
10. प्रो. मनोज बहरवाल, प्राचार्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	सदस्य
11. प्रो. सावन कुमार जांगीड, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा	सदस्य
12. कुलसचिव	सदस्य-सचिव

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए:-</u>

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	सदस्य
2. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3. प्रो. अनिल दाधीच, संकायाध्यक्ष-कला संकाय	सदस्य
4. डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय	सदस्य
5. प्रो. सुचेता प्रकाश, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय	सदस्य
6. प्रो. प्रेरणा जैन, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय	सदस्य
7. प्रो. हरसुख राम छारंग, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नागौर	सदस्य
8. प्रो. रेशमा बूलचंदानी, गृह विज्ञान विभाग, राज. विश्वविद्यालय, जयपुर	सदस्य
9. डॉ. देवेन्द्र श्रीमाली, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलगुरू ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया । माननीय कुलगुरू के द्वारा कुलसचिव महोदय को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग / विभाग
मद सं0 01	विद्या परिषद् की 79वीं बैठक दिनांक 28.08.2025 एवं 80वीं बैठक दिनांक 24.12.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (79) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2025/26306-27 दिनांक 04.09.2025 एवं पत्र क्रमांक एफ. 13 (80) शैक्षणिक-I/ मदसविवि/2025/39995-40015 दिनांक 29.12.2025 के द्वारा प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	विद्या परिषद् की 79वीं बैठक दिनांक 28.08.2025 एवं 80वीं बैठक दिनांक 24.12.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।	
मद सं0 02	विद्या परिषद् की 79वीं बैठक दिनांक 28.08.2025 एवं 80वीं बैठक दिनांक 24.12.2025 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट-1 एवं 2)	शैक्षणिक-I
निर्णय	विद्या परिषद् की 79वीं बैठक दिनांक 28.08.2025 एवं 80वीं बैठक दिनांक 24.12.2025 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (**Action Taken Report**) का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 03	माननीय कुलगुरू के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेश का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:- (1) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के पूर्व वर्षो में आयोजित दीक्षान्त समारोह में प्रदान किये गये स्वर्ण पदकों के लिए जारी अधिसूचना क्रमांक 13 ( )शैक्ष-I/मदसविवि/2011/19328-627 दिनांक 11.05.2011 व अधिसूचना क्रमांक 13 ( ) शैक्ष-I/मदसविवि/2018/70126-70526 दिनांक 20.09.2018 में उल्लेखित नियमों व शर्तो के अनुसार स्वर्ण पदक	परीक्षा नियंत्रक

	प्रदत्त किये जा रहे है । शेष स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रदत्त स्वर्ण पदकों पर विचार किये जाने हेतु गठित समिति की अनुशंसाएं (**कार्यसूची का परिशिष्ट-3**) माननीय कुलगुरू द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में प्रदत्त शक्तियों के तहत अनुमोदित की गई है । अतः संलग्न अनुशंसाएं विद्या परिषद् के समक्ष प्रतिवेदनार्थ/पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक D.O. No. F.2-71/2022(CPP-II) (C-114546) Dated 12 June, 2024 के द्वारा जारी शुल्क वापसी नीति व पत्र क्रमांक D.O. No. F.12-5/2024(FNT/NET)-Fee Nivaran (Notice) Dated 27 October, 2025 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-4**) के क्रम में माननीय कुलगुरू द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) के तहत प्रदत्त आदेशों की पालना में कार्यालय आदेश एफ 14 ( )शैक्ष-ा/ मदसविवि/ 2025/ 37801 दिनांक 16.12.2025 जारी किया गया जिसके द्वारा सत्र 2024-25 हेतु जारी शुल्क वापसी नीति को सत्र 2025-26 से (नई नीति जारी होने तक) पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क लौटाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । उक्त आदेश विद्या परिषद् के समक्ष प्रतिवेदनार्थ/पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के त्रयोदश दीक्षान्त समारोह-2025 में माननीय कुलगुरू के आदेशानुसार एम.ए. गृह विज्ञान विषय के विद्यार्थी को गोल्ड़ मेडल दिये जाने के क्रम में एम.ए. गृह विज्ञान विषय के संकाय निर्धारण हेतु माननीय कुलगुरू के आदेश दिनांक 18.12.2025 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 6004-08 दिनांक 23.12.2025 जारी कर समिति का गठन किया गया । उक्त समिति के कार्यवृत्त (**कार्यसूची का परिशिष्ट-5**) दिनांक 24.12.2025 का अनुमोदन माननीय कुलगुरू द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में प्राप्त शक्तियों के तहत दिनांक 24.12.2025 को किया गया ।	**शैक्षणिक-I**

	अतः माननीय कुलगुरू के आदेश दिनांक 24.12.2025 की पुष्टि/ प्रतिवेदनार्थ विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी तथा तद्नुसार संबंधित अध्यादेश में संशोधन करने का निर्णय लिया गया ।**	
	(4) <u>प्रतिवेदन है कि</u> राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 से अण्डर ग्रेज्यूएट की परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली द्वारा आयोजित की जा रही है । इसी तरह आगामी सेमेस्टर की परीक्षाएं भी आयोजित की जानी है । अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा आवेदन-पत्र भरवाए जाने एवं परिणाम घोषित किये जाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण एवं डिजी लॉकर एवं छात्र, माता व पिता के नाम में परिवर्तन व वार्षिक प्रणाली से पूर्व छात्रों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा आवेदन-पत्र भरवाये जाने इत्यादि हेतु समय-समय पर परीक्षा सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की गई जिसकी संस्तुति क्रमशः दिनांक 24.06.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-6)**, दिनांक 15.07.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-7)** एवं दिनांक 12.11.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-8)** की पालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 194 दिनांक 07.01.2026 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-9)** एवं दिनांक 09.12.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-10)** के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक 33328 दिनांक 10.12.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-11)** जारी किये गये । परीक्षा सलाहकार समिति की उक्त अनुशंसाएं एवं दिनांक 12.11.2025 एवं दिनांक 09.12.2025 पर माननीय कुलगुरू द्वारा विद्यार्थी हित में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) के तहत प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत दिये गये आदेश विद्या परिषद् के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 04	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से पत्र क्रमांक प. 18 (28) शिक्षा-4/2024-03939 दिनांक 24.10.2025 प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र के अनुसार पंडित दीनदयाल	**शैक्षणिक-I**

	उपाध्याय की 100वीं जयन्ती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के संवर्धन के लिए प्रस्तुत सुझावों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना, उनसे संबंधित शोध को बढ़ावा देना और विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में उनके विचारों को शामिल किया जाना है । अतः संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 18 (28) शिक्षा-4/2024-03939 दिनांक 24.10.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-12)** एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना का प्रस्ताव **(कार्यसूची का परिशिष्ट-13)** विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	उक्त प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:- 1. **पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार कर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना का निर्णय लिया गया ।** 2. **पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन को विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी सम्मिलित किये जाने तथा उक्त पीठ में शोध कार्य भी कराये जाने का निर्णय लिया गया ।** 3. **पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना के आदेश की प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जाये ।**	
मद सं0 05	विद्या परिषद् की 79वीं बैठक दिनांक 28.08.2025 के मद संख्या 06 पर महाविद्यालयों में चुनावी शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित (Electoral education through its inclusion in the academic curricula) किये जाने से संबंधित, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 18 (17) शिक्षा-4/2023/CLEARS-02101 जयपुर दिनांक 21.02.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-14)** पर विचार कर निर्णय करने हेतु प्रस्तुत किया गया था । विद्या परिषद् के निर्णयानुसार उक्त पत्र पर विचार कर अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु समिति का गठन किया गया । उक्त समिति का कार्यवृत्त दिनांक 04.10.2025 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-15)** को माननीय कुलगुरू के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया	**शैक्षणिक-I**

	गया । माननीय कुलगुरू के द्वारा दिनांक 06.11.2025 को आदेश प्रदान किये गये कि उक्त कार्यवृत्त को विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाये । अतः माननीय कुलगुरू के आदेश दिनांक 06.11.2025 की अनुपालना में, विद्या परिषद् के निर्णयानुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 04.10.2025 का कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	उक्त कार्यवृत्त को स्वीकार किया गया ।	
मद सं0 06	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र क्रमांक F.2-10/2023(Ac Policy) Dated 09 September, 2024 के द्वारा अपेक्स कॉलेज, नूरपुरा बाईपास रोड़, मकराना, जिला-नागौर (राज.) 341505 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2028-29 तक 05 वर्ष के लिए स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है । उक्त परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय अधिनियम 31 (स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदत्त किया जाना) के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार माननीय कुलगुरू द्वारा नियुक्त समिति द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जो विश्वविद्यालय अधिनियम 31 (3) के अनुसार विद्या परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ/ विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-16)**	शैक्षणिक-II
निर्णय	उक्त निरीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया गया । प्रो. रीटा मेहरा ने इस निर्णय पर अपना Note of dissent दर्ज कराया ।	
मद सं0 07	विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थी हित में Learn-Earn-Perform (Scheme) (LEaP) को प्रारम्भ किए जाने के क्रम में तैयार किया गया Ordinance **(कार्यसूची का परिशिष्ट-17)** विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	प्लेसमेंट सेल
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर विश्वविद्यालय परिसर में **Learn-Earn-Perform (Scheme) (LEaP)** को प्रारम्भ किये जाने एवं इस हेतु तैयार किये गये अध्यादेश को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया ।	

<table>
<tr><td>मद सं0 08</td><td>विश्वविद्यालय परिसर में Enhance Studies, Enhance Development (ESED) Research Project Scheme को प्रारम्भ किये जाने के क्रम में तैयार किया गया अध्यादेश (कार्यसूची का परिशिष्ट-18) विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।</td><td>निदेशक शोध</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर विश्वविद्यालय परिसर में Enhance Studies, Enhance Development (ESED) Research Project Scheme को प्रारम्भ किये जाने एवं इस हेतु तैयार किये गये अध्यादेश को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया ।</td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं0 09</td><td>माननीय कुलगुरू की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2025 को आयोजित की गई बैठक में शैक्षणिक अनुभाग-II से संबंधित निर्णय बिन्दु संख्या 05 की पालना में सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 19.01.2026 को हुई बैठक में सत्र 2027-28 से विभिन्न पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता का शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गई:-
<table>
<tr><th>S.No</th><th>Course</th><th>Affiliation Fee per year (Per Course/Per Unit) (Rs.)</th></tr>
<tr><td colspan="3">(A) Affiliation Fee for the following courses/Programme except mentioned in Category 'B'</td></tr>
<tr><td>(a)</td><td>For every undergraduate course /Programme</td><td>1,00,000/-</td></tr>
<tr><td>(b)</td><td>For every certificate/diploma course/ Programme</td><td>60,000/-</td></tr>
<tr><td>(c)</td><td>For introducing of one additional subject in undergraduate course /Programme</td><td>50,000/-</td></tr>
<tr><td>(d)</td><td>For Postgraduate course/Programme per subject</td><td>90,000/-</td></tr>
<tr><td colspan="3">(B) Affiliation Fee for the following courses /Programme except mentioned in Category 'A'</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>BCA/BBA/B.Sc. Bio-technology</td><td>1,25,000/-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>LL.B.</td><td>1,00,000/-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>LLM</td><td>1,00,000/-</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>PGDCA</td><td>1,00,000/-</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>B.Ed./B.P.Ed. (Per Unit)</td><td>1,00,000/-</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>M.Ed. (Per Unit)</td><td>1,10,000/-</td></tr>
</table></td><td>शैक्षणिक-II</td></tr>
</table>

	7. B.Sc. B.Ed./BA B.Ed./B.Ed. Special Course (Per Unit)/ ITEP/ ISITEP — 1,00,000/- 1. There will be 80 students per section for BA & B.Com. and 70 students per section for B.Sc. (for Maths & bio group combined) 2. There will be 40 students per section for PG level in Humanities & Social Science and 30 students per section in PG Science. 3. The above prescribed affiliation fee mentioned against each course/Programme shall also be payable to the University with every application for fresh/extension of provisional affiliation whether UG/PG and/or other courses. 4. A College applying for permanent affiliation / autonomous status shall pay Rs. 25.00 lacs . 5. In case the application for affiliation is received after 31st December, the late fee will be charged as per Ordinance 70-A. 6. An amount non-refundable of Rs. 50,000/- towards Inspection Fee for obtaining affiliation for each course/Programme and for periodical inspection shall be payable as Inspection fee for Fresh Affiliation/extension of affiliation as well as for Permanent Affiliation. 7. Honorarium to each member of Inspection Committee Rs. 3,000/- per inspection/visit to be paid by the University. 8. Existing Autonomous status colleges have to pay Rs. 8 lac per session. 9. The permanent affiliated college running temporary courses/ addl. subjects shall have to pay four times of the concerned affiliation fee for getting the Permanent affiliation of above Programme/ courses/ addl. subjects मद विद्या परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	उक्त अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया ।	
मद सं0 10	विद्या परिषद की 79वीं बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2025 के मद संख्या 15 के निर्णय की पालना में सत्र 2026-27 से महाविद्यालयों (बी.एड. महाविद्यालयों के अतिरिक्त) में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि हेतु प्रति पाठ्यक्रमवार (अतिरिक्त संचालित विषयों को छोड़कर) पाई गई समस्त कमियों के आधार पर आर्थिक दण्ड वसूलने संबंधी कमियों का पुनर्निर्धारण करने हेतु गठित समिति द्वारा पाई गई कमी/कमियों के आधार पर महाविद्यालय पर प्रति पाठ्यक्रम, अध्यादेश 70-ए के प्रावधानानुसार	शैक्षणिक-II

	राशि रूपये 50,000/- आर्थिक दण्ड (अतिरिक्त संचालित विषयों को छोड़कर) लगाये जाने की अनुशंसा की गई । तदोपरान्त अनुशंसा अनुसार कार्यालय आदेश जारी करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई । पत्रावली पर कुलसचिव महोदय द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय आदेश विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई । माननीय कुलगुरू द्वारा उक्त अनुशंसा का अनुमोदन दिनांक 20.01.2026 को किया गया । अतः कार्यालय आदेश क्रमांक 2176 दिनांक 20.01.2026 जारी किया गया (कार्यसूची का परिशिष्ट-19) । उक्त आदेश विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।	
निर्णय	विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 2176 दिनांक 20.01.2026 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं0 11	विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के Program of Learning को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार लागू करने हेतु तैयार किये गये अध्यादेश (कार्यसूची का परिशिष्ट-20) को प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	उक्त अध्यादेश को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार इत्यादि से इस संबंध में यदि कोई गाईड लाईन एवं दिशा-निर्देश प्राप्त होते है तो तद्नुसार आवश्यक संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया ।	
मद सं0 12	शोधार्थी रामचन्द्र की दिनांक 10.01.2024 को आयोजित शोध पंजीयन समिति द्वारा शोध प्रारूप अनुमोदन उपरान्त शोधार्थी को अस्थाई पंजीयन क्रमांक 6276-81 दिनांक 13.02.2025 जारी किया गया । जिसके तहत शोधार्थी को स्थाई पंजीयन हेतु शुल्क सहित आवेदन करने की नियमानुसार 03 माह की अवधि दिनांक 12.05.2025 एवं 01 माह की अतिरिक्त अवधि दिनांक 12.06.2025 तक प्रस्तुत करना था जो कि अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया । शोधार्थी राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत है ।	शोध अनुभाग

	अब शोधार्थी ने दिनांक 08.01.2026 को शोध पर्यवेक्षक व प्राचार्य से अग्रेषित कराकर एक अवसर और प्रदान करने का प्रार्थना प्रस्तुत किया है । अतः शोधार्थी को स्थाई पंजीयन के आवेदन एवं शुल्क जमा कराने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ मद आगामी विद्या परिषद् में रखे जाने हेतु प्रस्तुत है ।	
निर्णय	शोधार्थी श्री रामचन्द्र को स्थायी पंजीयन हेतु अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर, स्थाई पंजीयन हेतु आवेदन एवं शुल्क जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाने का निर्णय लिया गया । इनका पंजीकरण, शुल्क जमा कराने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा । इस निर्णय को भविष्य के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं करने का भी निर्णय लिया गया ।	
मद सं0 12	उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-	
	1. प्रो. मनोज बहरवाल ने माननीय कुलगुरू की अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि राजकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से कार्यरत सह-आचार्य और सहायक आचार्य जो कि राजकीय सेवा में चयन के समय **NET** अथवा **SET** योग्यताधारी रहे है । ऐसे सभी आवेदको को पीएच.डी. करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम-2022 के अंतर्गत दुसरी बार नेट करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाये । उक्त प्रकरण के समेकित समाधान हेतु सर्वसम्मति से निम्नानुसार समिति के गठन का निर्णय लिया गयाः- (i) प्रो. सुब्रतो दत्ता संयोजक (ii) प्रो. मोनिका भटनागर सदस्य (iiii) प्रो. अरविन्द पारीक सदस्य	शोध अनुभाग
	2. प्रो. मनोज बहरवाल ने माननीय कुलगुरू की अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं में परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम दोनों ही ऐसे है जिसमें विद्यार्थी को परीक्षा हेतु 03 घण्टे का समय देना आवश्यकता से अधिक है । अतः परीक्षा अवधि को तार्किक रूप से ढाई घण्टे अथवा दो घण्टे किया जाये । इस प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से विद्यार्थियों द्वारा 03 घण्टे की परीक्षा अवधि में	परीक्षा नियंत्रक

	लिखे जाने वाले शब्दों का पुनर्निधारण करने एवं परीक्षा के दौरान उपलब्ध करायी जा रही उत्तर पुस्तिकाओं के पृष्ठों की संख्या का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:- (i) प्रो. सुभाष चन्द्र — संयोजक (ii) प्रो. मिलन यादव — सदस्य (iii) प्रो. मनोज बहरवाल — सदस्य (iv) परीक्षा नियंत्रक — सदस्य-सचिव	
	3. प्रो. मिलन यादव ने माननीय कुलगुरू की अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ऐसे शिक्षक जो कि स्नातक महाविद्यालय में कार्यरत है एवं पीएच.डी. हेतु गाईड बनाये गये है और उनको JRF- 2025 के माध्यम से जे.आर.एफ. उत्तीर्ण शोधार्थी आवंटित किये गये है । उक्त शोधार्थी, यू.जी.सी. द्वारा मान्य महाविद्यालय नहीं होने के कारण यू.जी.सी. पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो पा रहे है । अतः उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है । उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संबंधित स्नातक महाविद्यालय के शोध पर्यवेक्षक, शोधार्थी की उपस्थिति प्रमाणित कर प्राचार्य के माध्यम से उनके संभाग/नोडल, स्नातकोत्तर महाविद्यालय से पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करावे ताकि शोधार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके ।	शोध अनुभाग

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई ।

कुलगुरू

कुलसचिव